न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 59/2022
दायर दिनांक :– 08.03.2022

अनवान

शंकर पिता छोटू भील नि. बिहाडा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

1. जगदीश पिता छोटू भील नि. बिहाडा तह. जहाजपुर
2. किशन पिता भैरू भील नि. बिहाडा तह. जहाजपुर
3. हनुमान पिता भैरू भील ना.ब.बी. संरक्षक जगदीश नि. बिहाडा तह. जहाजपुर
4. दिलखुश पुत्री भैरू पत्नि सोनू भील नि. बिहाडा हाल नि. लोदा की खेडी
5. माया पुत्री घीसू पत्नि रणजीत भील नि. धुन्धरी तह. सावर
6. मनीष पिता जगदीश दत्तक पुत्र उदा भील नि. बिहाडा तह. जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए.** ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री रितेश कांटिया, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: **आदेश** :: दिनांक 04.04.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम बिहाडा प0 ह0 बिहाडा तह. जहाजपुर की आ. सं. 1482, 1483, 1511, 1512, 1513, 1514, 1576/2, 751, 815 कुल किता 9 रकबा 1.7820 हैक्टेयर भूमि उदा पिता नन्दा 1/2, जगदीश पिता छोटू 1/6, भैरू पिता छोटू 1/6, शंकर पिता छोटू 1/6 खातेदारी से स्थित है। मोडू के दो लडके छोटू, नन्दा हुये छोटू के जगदीश, भैरू, शंकर हुये। छोटू की मृत्यु हो गई भैरू की मृत्यु हो गई भैरू के दो लडके किशन, हनुमान व एक लडकी दिलखुश है व भेरू की पत्नि लीला बच्चो को छोडकर मेहरूकला के दूसरी शादी कर ली दिलखुश की शादी हो गई किशन, हनुमान नाबालिग होकर जगदीश के साथ मे रह रहे है। उदा की मृत्यु हो गई उसकी एक लडकी लाड थी उसकी भी मृत्यु हो गई लाड की लडकी माया है उदा ने अपने जीवन काल में मनीष पुत्र जगदीश को गोद

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

रखा व जो उदा का पुत्र है। भैरू की मृत्यु उपरान्त उसके लडके लडकी नाबालिग छोटे होने से जगदीश ने पाला पोसा वह अभी उसके पास रह रहे है। वही उसकी पढाई लिखाई करा रहा हैं उदा की मृत्यु उपरान्त मनीष जो उदा का गोद पुत्र है वह भी जगदीश के पास ही रह रहा है। उक्त भूमि पूर्वजों से आई व अविभाजित भूमि है उदा की मृत्यु उपरान्त उदा के हिस्से पर मनीष मालीक रहा जो नाबालिग होने से जगदीश उसे सम्भाल रहा व जगदीश के कब्जे में भूमि है सभी अप्रार्थीगण भूमि का कम ज्यादा को लेकर विवाद करते है। उक्त वर्णित भूमि में माया अनाधिकृत रूप से बिहाडा में प्रभावशाली सम्पन्न व्यक्ति को देना चाहती है जो अनाधिकृत गरीब व्यक्तियों को लडाई झगडा कर जमीनों पर कब्जा करना चाहता हैं माया उनके प्रभाव में आकर अविभाजित भूमि व बिना उसके कब्जे के भूमि बेचना चाह रही है। जिससे विवाद होगे खरीदार अपने प्रभाव से भूमि खरीद मनचाही भूमि पर कब्जा करेगा अभी भूमि का बंटवारा नही हुआ वादी गरीब व्यक्ति है। खरीददार काफी सम्पन्न प्रभावशाली व्यक्ति है जिनके आंतक से गांव में भी उनके विरूद्व किसी के बोलने का साहस नही हैं इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से भूमि का बंटवारा कराना चाहता हैं व अप्रार्थी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना चाहता है। उक्त भूमि का बिना विभाजन बेच दी गई तो खरीददार सम्पूर्ण भूमि छीन लेगे प्रार्थी अपनी मेहनत व लाखो रूपये खर्च कर बनाई उपजाउ भूमि को छीनकर उसके हक व हिस्से से महरूम कर देगे उक्त वर्णित अविभाजित पैतृक भूमि को बेचने पर विवाद बढेगे। इसलिये प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा कराना चाहता है बंटवारा करा कब्जा प्राप्त कर राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज कराना चाहता है। अप्रार्थी माया द्वारा बिहाडा में प्रभावशाली सम्पन्न लडाकू राजनीति प्रभाव रखने वाले को भूमि बेचे जाने की जानकारी होने से दिनांक 2.3.20 से वाद हेतु उत्पन्न होकर जारी हैं प्रार्थी का प्राईमा फेसी केश है व सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः उक्त वर्णित भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक जब तक की कानूनी रूप से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य बंटवारा नही हो तब तक अप्रार्थीगण भूमि को न तो विकय करे न दखल दे स्वंय दखल नही करे नही अपने रिश्तेदारों व नौकर व ऐजेन्टों से दखल करावें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी फरमावें व राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करे इसके लिऐ पाबन्दे कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया की उपरोक्त विवादित आराजियात प्रार्थी के दादा के नाम से चली आकर पुश्तैनी भुमि है। जिसे अप्रार्थीगण बेचने पर उतारू है। उक्त भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाहते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रथम दृश्टया प्रकरण हैं व सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को विक्रय/खुर्दबुर्द कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण बिना विभाजन कराये भूमि को अन्य को विक्रय करने पर आमादा होने से मूल वाद के निस्तारण तक उक्त विवादित कृषि आराजियात को अप्रार्थीगण न तो विक्रय करे न दखल दे स्वंय दखल नही करे नही अपने रिश्तेदारों व नौकर व ऐजेन्टों से दखल करावें व राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करें इसके लिए पाबन्द फरमावे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार ग्राम बिहाडा प.ह. बिहाडा की आ.न. 1482, 1483, 1511, 1512, 1514, 1576/2, 751, 815 में प्रार्थी अभिलिखित सहखातेदार है, जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2076– 2079 से होती है। अभिलिखित सहखातेदार होने के कारण प्रार्थी विभाजन का अधिकार रखते है, अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया है। यदि अप्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि को विक्रय/खुर्दबुर्द कर देते है तो वाद बाहुल्यता बढेगी। और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में यथास्थिति बनी रहेगी एवं अप्रार्थीगण को विवादित आराजी के उपयोग/उपभोग में कोई विशेष असुविधा नहीं होगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम बिहाडा प.ह. बिहाडा की आ.न. 1482, 1483, 1511, 1512, 1513, 1514, 1576/2, 751, 815 कुल किता 9 रकबा 1.7820 हैक्टयर में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि की रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner